फर्द अहकाम

कुरान **बनाम** रोशन खान

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या.....110...../2024

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	29.1.26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकील ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 26.2.26 को पेश हो।	
	26/02/26	पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व के पारी अनुसार I.I. दिनांक 23/07/24 को मुलवाद का फैसला होने तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल एतमाद होकर दर्ज रजिस्टर के क्रम हो बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	